

57/2017

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

अदालत  
की तारीख

18/1/23

पतावली पेश हुई। प्रार्थी सरकारी  
पैरोमार अनुपरिपत। विप्रार्थीगण अनुपरिपत  
पतावली का अवलोकन करने पर पाया  
कि प्रकरण विगत एक वर्ष से अधिक  
समय से विप्रार्थीगण के इन्तजार में  
चल रही है। विप्रार्थीगण की ओर से  
कोई उपरिपत नहीं है, ऐसी छूटा  
में आवेदन को अजे चलाने का  
औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी  
पैरोमार सरकार व विप्रार्थीगण को  
न्यायालय समय पर तीन-तीन बार  
आवाजे लगाई गई। प्रार्थी व विप्रार्थीगण  
भावसूय क्षयना अनुपरिपत, विहाजा  
प्रार्थी का आवेदन-पत्र इसी स्टेज  
पर अग्र पेशी व अग्र-हाजरी में  
शरिफ किया जाता है।

पतावली पेश सुमार होकर नम्बर  
से कम होकर लेख भंडार हो।

उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा